

बिहार सरकार

विधि विभाग

फैक्स एवं
ई-मेल

ज्ञाप संख्या-जी०/बी०टी०-30-29/2017.....51...../जे०, पटना, दिनांक 15-02-18
सेवा में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
किशनगंज, जमुई एवं सारण (छपरा) ।

विषय:- मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-117-परिवार न्यायालय, उपशीर्ष-0001
-परिवार न्यायालय के अन्तर्गत यात्रा व्यय और वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव
विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से व्यय हेतु निम्नप्रकार
कुल-1,15,000/- (एक लाख पन्द्रह हजार) रुपये का अतिरिक्त आवंटन की
स्वीकृति।

॥ आवंटित राशि का ब्यौरा ॥

क्र०सं०	परिवार न्यायालय का नाम	11.01- यात्रा व्यय	13.02- वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	योग	पत्र का प्रसंग
1.	किशनगंज	80,000	-----	80,000	242/05.02.2018
2.	जमुई	-----	25,000	25,000	14/01.02.2018
3.	सारण (छपरा)	-----	10,000	10,000	32/24.01.2018
		80,000	35,000	1,15,000/- (एक लाख पन्द्रह हजार)	

आदेश:- स्वीकृत।

- व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-117-परिवार न्यायालय, उपशीर्ष-0001-परिवार न्यायालय के अन्तर्गत यात्रा व्यय और वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में होगा।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि०(2), दिनांक 17.4.1998 में दिये गये निर्देश के आलोक में दिया जाता है।
- वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-428/वि०, दिनांक-31.03.2017 के आलोक में उपबंधित राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- कृपया मासिक व्यय विवरणी शीघ्र भेजा जाय। लेखा सत्यापन हेतु ससमय विहित प्रपत्र में व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
- इस शीर्ष की मॉग संख्या-27 एवं विपत्र कोड-27-2014001170001 है

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/बी०टी०-30-29/2017.....51...../जे०, पटना, दिनांक 15-02-18

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज, जमुई एवं सारण (छपरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/बी०टी०-30-29/2017.....51...../जे०, पटना, दिनांक 15-02-18

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया, मुंगेर एवं सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/बी०टी०-30-29/2017.....51...../जे०, पटना, दिनांक 15-02-18

प्रतिलिपि:- विभागीय आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।